<u>नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में आरक्षित निर्णय</u>

<u>2014 की लिखित याचिका (एस/ बी) No.45</u>

धनंजयवर्मा...याचिकाकर्ता

र्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादी

साथ में

<u>2015 की लिखित याचिका (एस/ एस) No.330</u>

महेश सिंह

नेगी………………………………………………………..…………………………………….…....याचि

काकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और

अन्य………………………………………………………………………………....प्रतिवादी

श्री अशोक सिंह, श्री नरेंद्र बाली और श्री अमर शुक्ला याचिकर्ताओं के वकील।
श्री एस. एन. बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य स्थायी वकील श्री परेश त्रिपाठी की सहायता की ।
श्री बी. डी. कांडपाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्थायी वकील।
सुश्री नीति राणा, श्री राकेश थपलियाल की ब्रीफ़ होल्डर , प्रतिवादी नं.2 रिट याचिका (एस/ एस) No.330 की 2015 में।

फैसला सुरक्षितः08.04.2019

फैसला सुनाया गयाः21.05. 2019

<u>संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूचीः</u>

1. ए. आई. आर 1958 एस. सी. 538
2. (2011) 14 एससीसी 235

3. AIR 1995 SC 191 .
4. (2010) 4 एससीसी 150
5. ए. आई. आर 1999 एस. सी. 3471
6.ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1427
7. (1974) 4 एससीसी 335
8. ए. आई. आर 1974 एस. सी 1
9. 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 217
10. (1976) 2 एससीसी 310
11. [1997] 3 एससीआर 269
12. (1989) I LLJ 76 SC
13. ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 18
14. (1991) 4 एस. सी. सी 139
15. 1944 (2) सभी ई. आर. 293
16. (1990) 3 एससीसी 682
17. (1996) 6 एससीसी 44
18. (2006) 1 एससीसी 275
19. (2005) 6 एससीसी 404
20. (2007) 7 एस. सी. सी. 555
21. (1976) 2ए. सी. 521
22. 1901 ए सी 495 : (1900-3) सभी ER प्रतिनिधि 1 (HL)
23. ए आई आर 1968 एस. सी. 647
24. (2005) 7 एससीसी 234
25. (2007) 7 एससीसी 555
26. (1990) 1 एससीसी 193
27. (1990) 2 एससीसी 715
28. (2005) 1 एससीसी 444
29. AIR 2005 SC 2392
30. (2005) 7 एस. सी. सी 190
31. ए. आई. आर 1990 एस. सी. 334
32. ए. आई. आर 2001 राजस्थान 51
33. 2004 (12) एससीसी 673
34. (2006) 3 एस. सी. सी. 1
35. (2006) 8 एससीसी 212

36. 1992 (1) एससीसी 548
37. (2005) 13 एससीसी 287
38. (2017) 7 एससीसी 221
39. (2017) 11 एससीसी 195
40. (1976) 1 एससीआर 1008
41. (1972) 1 एससीआर 940
42. (1970) 1 एससीसी 248
43. (2013) 3 एससीसी 641
44. (1997) 7 एससीसी 592
45. (1994) 2 एससीसी 691
46. (2015) 2 एस. सी. सी. 796

कोरमः माननीय रमेश रंगनाथन,
सी. जे. माननीय सुधांशु धूलिया, जे.
माननीय आलोक सिंह, जे.

रमेश रंगनाथन, सी. जे.

जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि क्या भारत के संविधान संविधान का अनुच्छेद 16 (4) सभी प्रकार के आरक्षण से पूर्ण है, या क्या खेल श्रेणी के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के से प्रदान किया जा सकता है?इस प्रश्न का का उत्तर देने के आदेश, इस पूर्ण पीठ को दिए जा रहे संदर्भ तक के तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दें आवश्यक है।

2. उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने दिनांकित 06.10.2006 के आदेश को जारी जारी कर सूचित किया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार, निगमों, परिषदों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों की सेवाओं में रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर सफल खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है।आरक्षण का लाभ खिलाड़ियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में उपलब्ध कराया गया था जिसमें ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आदि में एक पदक शामिल था। क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित खेलों की सूची को उक्त कार्यवाही के संलग्नक 1 में विस्तृत किया गया था जिसमें आत्या/पाट्या को क्र. सं. 3 में और कराटे-डू

डू क्र. सं. .22 मे शामिल किया गया था। दिनांक 27.02.2009 की कार्यवाही द्वारा, उत्तराखंड सरकार के सचिव ने सूचित किया कि 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, जो जी. ओ. दिनांक 06.10.2006 में उल्लिखित विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए स्वीकार्य है, राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार के उद्देश्य से उत्तराखंड के मात्र विशिष्ट अधिवास खिलाड़ी के लिए स्वीकार्य होगा।

3. 2012 की रिट याचिका (एस/एस) No.897 तीन खिलाड़ियों द्वारा दायर की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य से, प्रतिवादी को खेल श्रेणी के तहत याचिकाकर्ताओं को कपर रने के परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट की मांग।इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2012 की रिट याचिका (एस/एस) No.897 में अपने आदेश में, अपने जवाबी-हलफनामे में उत्तराखंड सरकार के रुख पर ध्यान दिया, कि सरकारी आदेश दिनांक 27.02.2009 को देखते हुए, खेल हस्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नहीं था, जिनके पास उत्तराखंड राज्य में स्थायी अधिवास नहीं था, और उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी।इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे में याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने से इनकार करना अवैध था क्योंकि उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया था, और उन्हें सफल घोषित कियागया था, सरकारी आदेश दिनांक 27.02.2009 के अस्तित्व में आने से पहले ही; उस समय, यह दिनाक 06.10.2006 का सरकारी आदेश था जो मैदान में काम कर रहा था; और याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि उक्त सरकार ने दिनांक 06.10.2006 के खेल कोटे में नियुक्ति के लिए प्रदान किया था, चाहे अधिवास का स्थान कुछ भी हो।प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था यदि पद पहले से ही नहीं भरे गए थे। इससे व्यथित होकर, उत्तराखंड सरकार ने मामले को 2013 की विशेष अपील संख्या .162 को की खण्ड पीठ मे ले गए ।

4. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपील के से निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं था, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने 2013 की विशेष अपील No.162 दिनांक 14.08.2013 में में अपने आदेश में कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की गई थी कि सरकार, एक सरकारी आदेश द्वारा या अन्यथा, किसी भी

सरकारी पद को खेल कर्मियों के लिए आरक्षित नहीं कर सकती है। भारत के संविधान के के अनुच्छेद 16 को देखते हुए अस्वीकार्य; अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (1) में शब्द "राज्य के तहत कोई भी कार्यालय " थे; इसलिए, राज्य के तहत प्रत्येक कार्यालय के संबंध में, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी; इसने सुझाव दिया कि, सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में, सभी को विचार किए जाने के समान अवसर का अधिकार था; लेकिन अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (4) के लिए, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के नागरिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता था; लेकिन अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (4ए) के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता था; दूसरे शब्दों में, यदि कोई वर्ग उप-अनुच्छेद के से प्रदान किए गए अपवादों के भीतर नहीं आया था। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (4), (4ए) और (4बी) के तहत प्रदान किया गया है, राज्य के भीतर उपलब्ध किसी भी रोजगार में किसी भी व्यक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करने की किसी भी शक्ति से राज्य वंचित था; सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006, जो उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ताओं के अधिकारो की नींव था, गैर-मान्यता था क्योंकि यह यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत था; इससे कोई अधिकार नहीं निकला; और, उक्त सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006 के आधार पर, उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता रिट अदालत से एक आदेश जारी करने के लिए नहीं कह कह सकते थे कि उन्हें खेल श्रेणी के तहत नियुक्त किया जाए।अपील के तहत आदेश को दरकिनार करते हुए, खण्ड पीठ ने रिट याचिका को भी खारिज कर दिया।

5. तत्पश्चात इस न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ ने अपने आदेश में 2014 रिट याचिका (एस/बी) संख्या 45 दिनांक 07.07.2015 में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में लाया गया था कि उत्तराखंड सरकार ने 2013 की विशेष अपील संख्या 162 दिनांक 14.08.2013 में खण्ड पीठ के फैसले को प्रतिग्रहण करना करने का निर्णय लिया था। तदनुसार 2014 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या 45 में याचिकाकर्ता सहित किसी पर पर भी खेल कोटे में विचार नहीं किया जा रहा था। और याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि वह उक्त निर्णय का पक्षकार नहीं था, और यह फैसला गलत था क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत क्षैतिज आरक्षण देने का अधिकार था।

6. खण्ड पीठ द्वारा पहले अपनाए गए दृष्टिकोण की सदस्यता लेने में असमर्थ कहा कि यदि कोई वर्ग भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के उप-अनुच्छेद (4), (4ए) और (4बी) में दिए गए अपवादों के भीतर नहीं आता है, तो राज्य राज्य के भीतर उपलब्ध किसी भी रोजगार में किसी भी व्यक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करने के अधिकार अधिकार से वंचित था, बाद की खण्ड पीठ ने 2014 की रिट याचिका (एस/बी) No.45 में अपने आदेश दिनाक 07.07.2015 में कहा कि खिलाड़ियों के लिए आरक्षण देने की शक्ति का पता भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) से लगाया जा सकता है। और पूर्ववर्ती खंड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के साथ उनकी असहमति को देखते हुए, 2013 विशेष अपील संख्या 162 दिनांक 14.08.2013 में अपने फैसले में, उन्होंने मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित करना उचित समझा।

7. बाद में एक विद्वान एकल न्यायाधीश, 2013 की रिट याचिका (एस/एस) 330 दिनाक 28.10.2016 में आदेश दिया कि रिट याचिका (एस/एस) संख्या 330 को 2013 को 2014 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या 45 से जोड़ा जाए; और 2015 की रिट याचिका याचिका (एस/एस) संख्या 330 को वृहद पीठ के निर्णय के पश्चात विचार के लिए लिया जाए। याचिकाकर्ता को इस प्रकार गठित वृहद पीठ के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।यह ऐसी परिस्थितियों में है कि ये दोनों रिट याचिकाएं हमारे सामने सामने सूचीबद्ध की गई हैं।जहां 2014 की रिट याचिका (एस/बी) No.45 में याचिकाकर्ता ने आत्या-पाट्या चैंपियनशिप में भाग लेने का दावा किया है, वहीं 2013 की रिट याचिका याचिका (एस/एस) No.330 में याचिकाकर्ता ने कराटे-डो चैंपियनशिप में भाग लेने का दावा दावा किया है, दोनों की गणना सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006 के परिशिष्ट में की गई है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह प्रस्तुत करेंगे कि पूर्ववर्ती खण्ड पीठ ने विशेष अपील सं. 2013 के 162 ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की थी थी कि अनुच्छेद 16 के खंड (4), (4ए) और (4बी) सभी प्रकार के आरक्षण के संपूर्ण हैं, और अनुच्छेद 16 (1) के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है;

अनुच्छेद 16 (4), (4ए) और (4बी) मात्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रदान किए गए आरक्षण के पूर्ण हैं, न कि अन्य श्रेणियों श्रेणियों के जिनके पक्ष में अनुच्छेद 16 (1) के तहत आरक्षण प्रदान किया जा सकता है; है; और खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में पाई जा सकती है।

9. दूसरी ओर वकील श्री परेश त्रिपाठी, विद्वान चीफ स्टैंडिंग राज्य सरकार की ओर से पेश वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता , लेकिन इस तरह का आरक्षण आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानमंडल या कार्यपालिका पर कोई बाध्यता नहीं डाली गई; यह तय करना उनके लिए मात्र कि आरक्षण प्रदान करना मात्र नहीं; याचिकाकर्ता खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल या सरकार से अनिवार्यता की मांग नहीं कर सकते मात्रं; इससे पहले का सरकारी आदेश 06.10.2006 , जिसके ;तहत खिलाड़ियों के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया था, इस अदालत अदालत की एक खण्ड पीठ द्वारा 2013 की विशेष अपील 162 दिनांक 14.08.2013 में अपने फैसले में, गैर-अनुमानित होने के रूप में; उक्त फैसले को अंतिम रूप मिल गया है क्योंकि इसके खिलाफ फिर से कोई अपील नहीं की गई है; यह केवल तभी होता है जब विधानमंडल या कार्यपालिका कोई कानून पारित करती है या कोई नियम बनाती है या नए सिरे से नीति बनाती है। खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करते हुए, क्या याचिकाकर्ता खेल श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ का दावा कर सकते हैं; और, जब कि अब उत्तराखंड राज्य में कोई आरक्षण खिलाड़ियों के पक्ष मे नहीं किया गया है। यह सवाल सवाल किक्या इस तरह का आरक्षण अनुच्छेद 16 (1) के द्वारा प्रदान किया जा सकता है या नहीं, महज विद्या सम्बन्धी है।

I. क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत खेलों के प्रति रुचि रखते हुए खिलाड़ियों को को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है?

10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को राज्य के विधायी और कार्यकारी अंग द्वारा भेदभाव से बचाता है।"राज्य" को अनुच्छेद 12 में सरकार सहित परिभाषित किया गया है, और "कानून" को अनुच्छेद 13 किसी भी आदेश को शामिल करता है। **(राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायाधीशमूर्ति एस. आर.तेंदोलकर 1)।** "कानून का समान संरक्षण" शब्दों को अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया था ताकि, समान लोगों के बीच, कानून को समान रूप से प्रशासित किया जा सके और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को समान तरीके से रखा जा सके।लेकिन इसमें एक शर्त है।राज्य के पास अभी भी विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर करने की शक्ति है। **(राजस्थान राज्य अन्य बनाम शंकर लाल परमार 2)।** विधायिका स्वतंत्र है।विधायिका हानि के स्तर को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और इसके प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित करना जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है। **(राम कृष्ण डालमिया 1)।**अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है, और विधान के उद्देश्यों के लिए उचित वर्गीकरण नहीं करता है।जबकि वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम (या नियम या नीति) के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। **(राम कृष्ण डालमिया 1; बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य 3)।**

11. अनुच्छेद 14 और 16 यह आदेश नहीं देते हैं कि गैर-समान लोगों को माना जाना चाहिए। समान रूप से **(एम. जगदीश व्यास अन्य ओआरएस बनाम भारत संघ और अन्य 4)** अनुच्छेद 16(1), जो अनुच्छेद 14 के तहत अपनी जड़ें लेता है, अनुच्छेद 14 में व्यापकता को विशिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थों में, राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार और नियुक्ति के मामलों में "अवसर की समानता" की पहचान करता है। **(अजीत अन्य और ओआरएस बनाम पंजाब राज्य और अन्य 5)** ।अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के अनुप्रयोग की एक घटना, के को प्रभावी बनाती है। नियुक्ति के मामलों में समानता, और उस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।यदि एक स्रोत का वरीयता उपचार, उपचार, दूसरे के संबंध में, दोनों के बीच मतभेदों पर आधारित है, और उक्त मतभेदों इस तरह की भर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध है, तो उक्त भर्ती

वैध रूप से वैध वर्गीकरण के आधार पर बनाए रखा जा सकता है। **[एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ 6; एम. जगदीश व्यास 4)।**

12. संविधान यह आदेश नहीं देता है कि रोजगार के सभी मामलों में पूर्ण समरूपता बनी रहे। सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच लकड़ी की समानता का इरादा नहीं है।इस तरह के 'वर्गहीन' और अविवेकी 'समानता' को बनाए रखना, जहां वास्तव में स्पष्ट असमानताएं मौजूद हैं, इसकी व्यावहारिक सामग्री की गारंटी लोगों को वंचित कर देगा। [महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद अन्य बनाम ए. वी. आर. सिद्धांत अन्यए. वी. आर. सिद्धांत अन्य अन्य)। रोजगार के उद्देश्यों के लिए अवसर की समानता मात्र उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो काफी हद तक एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं।समानता की गारंटी अलग और अलग वर्गों के सदस्यों के बीच लागू नहीं होती है। **(एवीआर सिद्धांत 7); जम्मू अन्य राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसला अन्य अन्य)।**

13. अनुच्छेद 16 (1) उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जैसे कि अनुच्छेद 14 करता है (इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 9; राज्यकेरल और अन्य आर. एस. बनामएन. एम. थॉमस 10), इसके द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति करना। कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार आवश्यक हो सकता है। ऐसा न करने से असमानता और बढ़ेगी। **(इंदिरा साहनी 9)।**अनुच्छेद 16 (1) कानून या राज्य की कार्रवाई के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण की अनुमति देता है।अनुच्छेद 16 (1) सकारात्मक है जबकि अनुच्छेद 14 भाषा में नकारात्मक है। (**एन. एम. थॉमस 10)।**

14. वर्गीकरण में सीटों या रिक्तियों का आरक्षण भी शामिल हो सकता है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत , पदों को एक वर्ग के पक्ष में आरक्षित किया जा सकता है।(इंदिरा साहनी 9; एन. एम. थॉमस 10)।अनुच्छेद 16 (1) न मात्र वरीयताओं, रियायतों और छूटों को बढ़ाने की अनुमति देता है, बल्कि पदों के आरक्षण की भी अनुमति देता है।किसी विशेष वर्ग के पक्ष में किस प्रकार का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, यह राज्य को राज्य को तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय करना है।**(इंदिरा साहनी 9)।**

15. अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4ए) दोनों कोई मूल अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और न ही वे कोई संवैधानिक कर्तव्यों को लागू करते हैं, लेकिन मात्र आरक्षण प्रदान करने पर विचार करने करने के लिए राज्य को विवेकाधिकार देने वाले प्रावधानों को सक्षम करने की प्रकृति में हैं, यदि उल्लिखित परिस्थितियां मे उन अनुच्छेदों की इस प्रकार की आवश्यकता होती हैं, **(अजीत) सिंह 5; सीए राजेंद्रन बनाम भारत संघ 11),** के पक्ष में नियुक्ति के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्ग जिनका, उनकी मत में, पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में नहीं है। **(अजीत सिंह 5; पी एंड टी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ 12 और एस. बी. आई. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारतीय स्टेट बैंक 13)**।"नागरिकों के पिछड़े वर्ग" को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो राज्य राज्य की सेवाओं में नियुक्ति/पदों में आरक्षण की प्रकृति में विशेष उपचार के योग्य है।पिछड़े वर्गों को संविधान द्वारा विशेष उपचार के योग्य वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है अग्रेतर संविधान ने स्वयं विशेष उपचार की प्रकृति को निर्दिष्ट किया है, यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अलावा या उसके बाहर उनके पक्ष में कोई अग्रेतर वर्गीकरण या विशेष उपचार की अनुमति नहीं है**।(इंदिरा साहनी 9)**।अनुच्छेद 16 (4) के से आरक्षण की व्यापक अवधारणा में सभी पूरक और सहायक प्रावधानों के साथ-साथ छूट, रियायतें और छूट जैसे कम प्रकार के विशेष प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। **(साहनी 9; एन. एम. एम. थॉमस 10)।**

16. अनुच्छेद 16 (4), जो अनुच्छेद 16 (1) **(एन. एम. थॉमस 10)** में सन्निहित समानता प्राप्त करने के तरीकों में से एक को इंगित करता है, इसका अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16 (1) **(इंदिरा साहनी 9)** में निहित एक सिद्धान्त को व्यक्त करने का मात्र एक जोरदार तरीका है।अनुच्छेद 16 का खंड (4), खंड (1) में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण का एक उदाहरण, एक ऐसा प्रावधान है जिसे खंड (1) के साथ और उसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।खंड (4) के बिना भी, राज्य के लिए इस तरह का वर्गीकरण विकसित करना और पिछड़े पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्ति/पदों के आरक्षण का प्रावधान करना अनुज्ञेय होता।खंड (4) मात्र विशिष्ट शब्दों में मामले को संदेह के बाद रखता है**।(इंदिरा साहनी 9)**।अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के विषय का संपूर्ण विवरण है, हालांकि यह आरक्षण की

अवधारणा का पूर्ण विवरण नहीं हो सकता है।अन्य वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत प्रदान किया जा सकता है। **(इंदिरा साहनी 9)।**मात्र इसलिए कि वर्गीकरण के के एक रूप को एक विशिष्ट खंड के रूप में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि खंड (1) में निहित वर्गीकरण की अवधारणा और शक्ति समाप्त हो जाती है**।(इंदिरा साहनी 9)।**

17. यद्यपि कुछ श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए वर्गीकरण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के तहत एक वैध वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को पूरा पूरा करना होगा। जबकि पिछड़े वर्गों के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण, जैसे कि खिलाड़ी, अनुच्छेद 16 (1) के तहत प्रदान किया जा सकता है, यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है, अग्रेतर सभी अग्रेतर विभिन्न कारणों से नहीं, कि अनुच्छेद 16 (4) के अलावा खंड (1) के तहत किसी भी प्रकार का अग्रेतर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।ऐसे चाहिए।ऐसे मामलों में, यदि आह्वान किया जाता है, तो राज्य को संतुष्ट करना होगा कि किसी विशिष्ट स्थिति के निवारण के लिए ऐसा प्रावधान करना (जनहित में) आवश्यक था। खंड (4) की उपस्थिति को विशेष उपचार के योग्य अग्रेतर अधिक वर्ग बनाने की प्रवृत्ति पर एक बाधा के रूप में कार्य करना चाहिए। यदि खंड (4) के साथ-साथ खंड (1) दोनों का अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण किया जाता है, मुक्त प्रतियोगिता के लिए उपलब्ध रिक्तियों को तदनुसार समाप्त कर दिया जाएगा, और ऐसा करना एक उचित बात नहीं है**। (इंदिरा साहनी 9)।**

18. **एन. एम. थॉमस 10 और इंदिरा साहनी 9** में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने तब ध्यान नहीं दिया जब उसने 2013 की विशेष अपील संख्या 162 दिनांक 14.08.2013 में आदेश पारित किया और उक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अज्ञानता में है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है। "इनक्यूरिया" का शाब्दिक अर्थ है लापरवाही। कानून के प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ के बिना एक निष्कर्ष, आकस्मिक टिप्पणियों से भी कमजोर है। यहाँ तक कि आकस्मिक अवलोकन भी। **(यू. पी. राज्य और एक अन्य बनाम सिंथेटिक्स और केमिकल्स केमिकल्स लिमिटेड और अन्य 14**) केमिकल्स लिमिटेड और अन्य 14)।'अधिनियम में उद्धरण' से बचा जाता है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है यदि इसे 'किसी क़ानून या

अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में' प्रस्तुत किया जाता है। **(युवा बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कं. लिमिटेड 15)** लैटिन अभिव्यक्ति **"पर इनक्यूरियम"** का अर्थ है असावधानी द्वारा। एक निर्णय को आम तौर पर इनक्यूरियम के अनुसार दिया जा सकता है जब न्यायालय ने एक बाध्यकारी मिसाल की अज्ञानता में काम किया हो। **(पंजाब लैंड विकास और सुधार निगम लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य अन्य 16)।**

19. खण्ड पीठ की मत, 2013 की विशेष अपील संख्या 162 दिनांक 14.08.2013 में, अनुच्छेद 16 (4) आरक्षण के सभी रूपों का संपूर्ण है, और यह कि अनुच्छेद 16 (1) के तहत कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है, **एन. एम. थॉमस 10 और इंदिरा साहनी 9** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के विपरीत है, और इसलिए, खारिज कर दिया गया है। हम रेफरल आदेश [2014 की रिट याचिका (एस/बी) No.45 में आदेश दिनांक 07.07.2015] में व्यक्त विचार से सहमत हैं कि खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण देने की शक्ति, निश्चित रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के अधीन है, बशर्ते कि इस तरह का आरक्षण प्रदान करने के लिए शक्ति का प्रयोग, एक वैध वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट करता है।

II. आदेश अब हमारे द्वारा पारित किया जाएगा, विशेष अपील संख्या 2013 का 162 दिनांक 14.08.2013 में निर्णय को ध्यान मे रखते हुए क्या अच्छा कानून नहीं है, सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006 के पुनरुत्थान में परिणाम?

20. हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर देने के बाद, हम, आम तौर पर, निर्देश दिया है कि दोनों रिट रिट याचिकाओं को इस आदेश में निर्धारित कानून के आलोक में एल. आई. एस. के निर्णय के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।यद्यपि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा करने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और चूंकि दोनों रिट याचिकाएं इस पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं, इसलिए हम दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतियों की गुणागुण के पीठ पर जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

21. एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायिक निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धान्त मात्र है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है , और इस कारण से निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात को अलग करना महत्वपूर्ण हो जाता है ।प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं-भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानित। तथ्य का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्यों **(तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान)** और उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय से प्राप्त करता है। किसी निर्णय में जो सार होता है वह उसका अनुपात होता है। कारण या सिद्धान्त का उच्चारण, जिस पर अदालत के समक्ष एक प्रश्न का निर्णय लिया गया है, एक मिसाल के रूप रूप में बाध्यकारी है। केवल ठोस निर्णय ही पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है, लेकिन यह संक्षिप्त सार अनुपात निर्णय है, जो निर्णय के विषय-वस्तु के संबंध में निर्णय पर विचार करने पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें केवल कानून का बल होता है और जो, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या है, तो बाध्यकारी है।मामले में उत्पन्न होने वाले या मुद्दे में रखे गए प्रश्न पर तर्क सुनने के पश्चात जानबूझकर लिया गया न्यायिक निर्णय एक मिसाल होगा। **(भारत संघ बनाम.धनवंती देवी 17; उड़ीसा राज्य बनाम मोहम्मद।इलियास 18; आईसीआईसीआई बैंक बनाम नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे 19; गिरनार ट्रेडर्स बनाम स्टेट ऑफ ऑफ महाराष्ट्र 20; ए. डी. एम., जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 21; क्विन बनाम लीथम 22 और उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा 23)।**

22. किसी मामले का अनुपात निर्णय कानून का सिद्धांत है जो मामले के तथ्यों के आधार पर विवाद का निर्णय करता है। मामले के तथ्यों में विवाद। **(शिन-एत्सु केमिकल कं. लिमिटेड लिमिटेड बनाम।अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड 24; गिरनार ट्रेडर्स बनाम महाराष्ट्र राज्य 25)**। केवल ऐसे अनुपात निर्णय बाध्यकारी या आधिकारिक मिसाल के रूप में कार्य कर सकता है, है, **(गिरनार ट्रेडर्स 25),** एक बड़ी पीठ केवल पहले के फैसले में घोषित कानून को खारिज कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप पहले का निर्णय भविष्य के मामलों पर बाध्यकारी मिसाल नहीं नहीं रहेगा। जबकि खण्ड पीठ द्वारा 2013 की विशेष अपील No.162 दिनांक 14.08.2013 में अपने आदेश में घोषित कानून, का अनुच्छेद 16 (4), (4A) और (4B) आरक्षण के सभी रूपों को इस आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, वह प्रश्न जो परीक्षण की आवश्यकता

बनाता है, वह खण्ड पीठ के उक्त आदेश के प्रभाव के बारे में है, 2013 की विशेष अपील No.162 दिनांक 14.08.2013 में, सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006 घोषित करता है, जिसमें खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान किया गया था, गैर-स्थायी और इससे कोई अधिकार प्रवाहित नहीं होगा।

23. इस मुद्दे की जांच करते समय, पहले के निर्णय में निर्धारित कानून को गलत घोषित किए जाने और निर्णय को ही खारिज किए जाने के बीच के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश, पक्षों के अधिकारों के गुण-दोष पर निर्णय लेने के पश्चात पक्षों या उनसे अधिकार, अधिकार या हित का दावा करने वाले व्यक्तियों को बाध्य करता है।इसकी वैधता पर केवल अपील या समीक्षा में ही सवाल उठाया जा सकता है। इसकी वैधता पर बाद की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। **।(सुशील कुमार मेथा बनाम गोबिंद राम बोहरा 26)।** एक सक्षम न्यायालय का निर्णय, भले ही वह गलत हो, अंतर-पक्षों को बाध्य करता है और संपार्श्विक कार्यवाही में फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र, संक्षेप में कानून के शासन का एक हिस्सा है जिस पर न्याय प्रशासन आधारित है कानून जिसके आधार पर न्यायाधीश का प्रशासन स्थापित किया जाता है।**(प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग -II अभियांत्रिकी अधिकारी संघ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 27; यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एन. आर. 28)।** एक बार कोई मामला, जो कि मुकदमे की विषय-वस्तु थी, एक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, उसके बाद किसी भी पक्ष को बाद के मुकदमे में इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। **(स्वामी आत्मानंद अन्य ओआरएस बनामश्री रामकृष्ण तपोवनम अन्य 29; ईश्वर दत्त बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर अन्य 30)।**

24. एक निर्णय, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, पक्षों के बीच बाध्यकारी है, और उन्हें प्रकार तय किए गए मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। **(उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ 31)** इस तरह के आदेश पक्षकारों को बाद की मुकदमेबाजी में या कार्यवाही के बाद के चरण में उसी न्यायालय के समक्ष बाध्य करते हैं। **(बरकत अली बनाम बद्रीनारायण 32)** सक्षम क्षेत्राधिकार वाले

न्यायालय/न्यायाधिकरण का आदेश, सीधे एक बिंदु पर, किसी अन्य न्यायालय/न्यायाधिकरण में किसी अन्य मामले में उन्हीं पक्षों के बीच एक याचिका के संबंध संबंध में एक बाधा पैदा करता है, जहां उक्त याचिका पहले के आदेश में निर्धारित किए गए बिंदु को नए सिरे से उठाने का प्रयास करती है। **(स्वामी आत्मानंद 29; ईश्वर दत्त भूमि अधिग्रहण कलेक्टर 30)।** अंतर-पक्षीय निष्कर्ष निकाले गए मुद्दों को अंतर-पक्षीय कार्यवाही में फिर से नहीं उठाया जा सकता है।**(हरियाणा राज्य बनाम राज्य पंजाब 33)।**

25. अंतर-पक्षीय निर्णय को संपार्श्विक कार्यवाही में पलटा नहीं जा सकता है।समीक्षा के अपास्त प्रार्थना या वापस बुलाने के अपास्त आवेदन पर उसी सूची में एक निर्णय अलग रखा जा सकता है। किसी निर्णय का ओवररूलिंग बाद में होता है जहां निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य पर प्रश्न उठाया जाता है। यह उच्च क्षेत्राधिकार या ताकत वाली अदालत के लिए खुला है, जिसके समक्ष कम ताकत वाली पीठ के फैसले को खारिज करने के लिए एक प्राधिकारी के के रूप में उद्धृत किया जाता है। कम ताकत को एक प्राधिकरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, इसे रद्द करने के लिए।यह अधिमूल्यांकन उस सूची में पूर्ववर्ती सूची के पक्षकारों पर निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को प्रभावित करने के लिए काम नहीं करेगा, जिनके लिए न्यायिक निर्णय का सिद्धान्त काम करता रहेगा।**(भारत संचार निगम लिमिटेड अन्य ओआरएस बनाम।भारत संघ और अन्य 34)**। जिस तरह से खण्ड पीठ के फैसले ने 2013 की विशेष अपील संख्या 162 दिनांक 14.08.2013 में अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, जिसमें याचिकाकर्ता या उत्तराखंड सरकार द्वारा इसके खिलाफ कोई अपील या समीक्षा नहीं की गई है, खण्ड पीठ का उक्त आदेश, सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006 को रद्द करते हुए और गैर-स्थायी ठहराते हुए, एक बड़ी पीठ द्वारा भी संपार्श्विक कार्यवाही में शून्य नहीं रखा जा सकता है।

26. जबकि उसमें घोषित कानून हमेशा एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज किया जा सकता है और वास्तव में किया गया है, सरकारी आदेश दिनांक 06.10.2006, जिसे खण्ड पीठ द्वारा 2013 की विशेष अपील 162 दिनांक 14.08.2013 में अपने आदेश में गैर-निहित माना गया है, को न तो पुनर्जीवित किया जा सकता है और न ही संपार्श्विक कार्यवाही में पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब हमारे द्वारा पारित आदेश का एकमात्र परिणाम यह केवल अब यह

राज्य विधानमंडल के लिए एक कानून बनाने के लिए खुला होगा, या उत्तराखंड सरकार के लिए लिए एक नियम बनाने या नए सिरे से एक नीति बनाने के लिए खुला होगा, जिसमें खिलाड़ियों खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों का वर्गीकरण, जिनके पक्ष में खेल श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने की मांग की जाती है, केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के तहत एक वैध वर्गीकरण की कसौटी को पूरा करता है ।

III. क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून या निष्पादन के लिए एक परमादेश लागू किया जा सकता है?

27. चूंकि सरकारी आदेश दिनांकित 06.10.2006 को संपार्श्विक कार्यवाही में एक बड़ी पीठ द्वारा भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, इसलिए अगला प्रश्न जो जांच की आवश्यकता बनाता है वह यह है कि क्या उत्तराखंड राज्य में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण प्रदान प्रदान करने का निर्देश बड़ी बेंच द्वारा जारी किया जा सकता है? इस संदर्भ में, यह ध्यान देंना आवश्यक है कि यह केवल तभी कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या राज्य द्वारा कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जाता है, या यदि किसी नागरिक को राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के तहत संबंधित मामलों में अवसर की समानता से वंचित किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन किया जा सकता है। इस तरह का इनकार मात्र तभी उत्पन्न होगा जब राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम और नीतियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन करती हैं। जबकि पिछड़े वर्गों के अलावा अन्य श्रेणियों के संबंध में आरक्षण को अनुच्छेद 16 (1) के तहत भी बढ़ाया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत ऐसा आरक्षण प्रदान करने की शक्ति मात्र विधानमंडल और कार्यपालिका में निहित है। ऐसा कोई कानून या नियम बनाए जाने की अनुपस्थिति में, खेल श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं के के अनुरोध को अदालतों द्वारा मंजूर नहीं किया जा सकता है।

28. एक नीति के रूप में आरक्षण वांछनीय है या नहीं, यह तय करना अदालत का काम नहीं है । **(एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ 35)।** हमारे से संवैधानिक योजना, संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। **(जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम ए. आर. जक्की 36; सुरेश सेठ बनाम कॉम., इंदौर नगर निगम 37; उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ। 31 और मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनामसंघ का भारत 38)**। न्यायपालिका जो राज्य की तीन शाखाओं में में से एक है, अन्य दो शाखाओं यानी कार्यपालिका और विधायिका के बराबर है। प्रत्येक ने संवैधानिक शक्तियों को निर्दिष्ट और सूचीबद्ध किया है। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि कार्यकारी कार्य कानून के अनुरूप हों, और कानून और कार्यकारी निर्णय संविधान के अनुरूप हों. **(हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सतपाल सतपाल सैनी 39)।**

29. विधायी शक्ति का प्रयोग विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या कुछ शर्तों अधीन, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्ति उन्हें सौंपने पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग, चाहे वह विधायिका द्वारा हो या उसके प्रतिनिधि द्वारा, विधायी शक्ति का प्रयोग है। यह तथ्य कि कार्यपालिका को शक्ति सौंपी गई थी, उस शक्ति को कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति में परिवर्तित नहीं करता है। कोई भी अदालत किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए विधायिका को जनादेश जारी नहीं कर सकती है। इसी तरह कोई भी अदालत किसी अधीनस्थ विधायी निकाय को किसी ऐसे कानून को लागू करने करने या न करने का निर्देश नहीं दे सकती है जिसे वह लागू करने में सक्षम हो। **[उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ 31; अन्य जक्की 36; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम टी. गोपालकृष्ण मूर्ति और अन्य। 40; मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 38 और नरिंदर चंद हेम राज बनाम लेफ्टिनेंट। राज्यपाल, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश 41)।** यद्यपि उसके पास अधिकार की कमी के आधार पर किसी कानून को निरस्त करने की शक्ति है, यह न्यायालय किसी कानून को लागू करने में संसद या राज्य विधानमंडल की नीति पर अपील में नहीं बैठेगा। **[रुसम कावासी कूपर बनाम भारत संघ 42)।** जिस प्रकार यह किसी विधायिका को किसी विशेष अधिनियम को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। कानून,

(उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ 31), उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, कार्यपालिका को एक विशेष तरीके के तहत कानून बनाने के लिए विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार, अधीनस्थ विधान के माध्यम के तहत शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता है। **(भारतीय साबुन अन्य शौचालय निर्माता संघ बनाम ओज़ैर हुसैन और अन्य 43)।**

30. राज्य के प्रशासन के लिए नीति बनाने के लिए राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण को उसकी उसकी क्षमता के भीतर रखा जाना चाहिए। **(एम. पी. ऑयल निष्कर्षण और अन्य Vs . राज्य एम. पी. और अन्य 44)।** कर्तव्य को नीतियो के रूप में सूत्रबद्ध कर के कार्यपालिका को सौंपी जाती हैं, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय कार्यपालिका को किसी विशेष नीति को अपनाने या विधायिका को इसे अधिनियमित कानून में कानून में बदलने का निर्देश नहीं देगा। **(सतपाल सैनी 39)।** नीति बनाने का अभ्यास कार्यपालिका और विधायी प्राधिकरणों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया दिया जाना चाहिए। अदालत से सार्वजनिक नीति की वैधता पर मात्र विचार करने के लिए कहा है जब कोई चुनौती दी जाती है तो ऐसा नीतिगत निर्णय भारत के संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। **(प्रीमियम ग्रेनाइट बनाम तमिलनाडु राज्य 45 अन्य जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति 46)।**

31. कानून बनाना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अदालतें कानून की व्याख्या करें, और कानून को असंवैधानिक घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त करें लेकिन, अदालतों को अनिवार्य परमादेश जारी करके नीति में कुछ जोड़कर नीति निर्माण में नहीं उतरना चाहिए। **(आर. कृष्णमूर्ति 46 और मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 38)** चूँकि किसी विशेष कानून कानून को लागू करने के लिए विधानमंडल को या किसी विशेष तरीके के नियम बनाने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण को या संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत आरक्षण प्रदान करने वाली नीति बनाने के लिए सरकार को मात्र परमादेश पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, इसलिए खेल श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए, न कि अदालत को, क्योंकि यह कानून

कानून या नियम बनाए जाने या आरक्षण प्रदान करने वाली नीति बनाए जाने के पश्चात ही अदालतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) की कसौटी पर इसकी वैधता की की जांच करने के लिए बुलाया जा सकता है।

IV. निष्कर्षः

32. हम इस संदर्भ का यह कहते हुए जवाब देते हैं कि **इंदिरा साहनी 9 और एन. एम. थॉमस थॉमस 10** में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए, 2013 की विशेष अपील No.162 दिनांक 14.08.2013 में खण्ड पीठ का मत है कि भारत के संविधान का का अनुच्छेद 16 (4) सभी प्रकार के आरक्षण का संपूर्ण है, अच्छा कानून नहीं है। उनके अलावा जिनके पक्ष में अनुच्छेद 16 (4), (4ए) और (4बी) के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है, उस को अनुच्छेद 16 (1) के तहत बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा आरक्षण एक एक वैध और उचित वर्गीकरण की कसौटी को संतुष्ट करता हो। चूंकि खण्ड पीठ द्वारा 2013 की विशेष अपील No.162 दिनांक 14.08.2013 में अपने आदेश में दिनांकित 06.10.2006 के के सरकारी आदेश को अमान्य माना गया है, जो आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है, दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी राहत के अनुदान के हकदार हकदार नहीं हैं। उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, दोनों रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं।

(आलोक सिंह, जे.) (सुधांशु धूलिया, जे.) (रमेश रंगनाथन, सीजे)

21.05.2019

निशांत